सर्वोच्चय प्राथमिकता

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–सी–6 / एम.आर / सेल–2 / 2019 / 1319 भोपाल , दिनांक 05/12/2019

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः– वचन पत्र के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रति सप्ताह जारी किये जावें तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों (विषय विशेषज्ञों) की सेवायें ली जावें।

संदर्भः– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. का परिपत्र क्रमांक 14 दिनांक 01.08.2019

----000----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के निर्देशो के पालन में दिनांक 24 जुलाई 2019 को प्रकाशित राजपत्र क्र. 324 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा क्र. एफ 10–05–2019–सत्रह–मेडि–1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में (2016 का 49) की धारा 57 के खण्ड (1) में उल्लेखित दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 1/08/2019 को आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

जिन जिलों में धारा 57 के आधार पर निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नही है। ऐसे जिले में निशक्ता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रमुख प्राधिकार समिति में निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जावे। जिला मेडिकल बोर्ड में आवश्यकता अनुसार सदस्य के रूप में एक निजी चिकित्सक (विषय विशेषज्ञों) को नामांकित कर सम्मिलित किया जावे एवं उनकी सेवायें ली जावें इस हेतु रोगी कल्याण समिति के माध्यम से उनको मानदेय के रूप में निर्धारित राशि रूपयें 500/– प्रदाय की जावें।

<u>आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

5.12.19

(डॉ. मोहन सिंह)
संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक–सी–6 / एम. आर. / सेल–1 / 2019 / 1320 भोपाल, दिनांक 05/12/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. संयुक्त संचालक समन्वय, स्थानीय कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस, विभाग की वेवसाईट पर प्रदर्शित करे।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश